न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

उअज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
3/2011	04/02/2011	30/1/20

1. रामरतन पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. शम्भूदयाल पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. रतनीबाई पुत्री मोरपाल जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. विद्याबाई पुत्री मोरपाल जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेरदा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 की खाता सं. 92 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पिता श्री मोरपाल पुत्र अमरा जाति गुर्जर की गैर खातेदारी में खसरा नं. 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी जो हैक्टर में 1.00है. होती है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट सम्वत् 2041–2060 उक्त आराजी के नवीन खसरा नं. 0.59 है, पैमुद किये गये। जो कि गत रकबे के मुकाबले 0.41है, कम दर्ज किये गये। जबकि मौके पर प्रार्थीगण अपने सेटलमेन्ट से पूर्व के रकबे 1.00 है, के मुताबिक ही मौके पर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह प्रार्थीगण की भूमि में उक्तानुसार कमी रकबा दर्ज करे जबकि प्रार्थीगण को विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय श्रीमान की सहायता से अपने कमी रकबे की पूर्ति करवावे। प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के पिता श्री मोरपाल की मृत्यु हो चुकी है। जिनके प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 विधिक प्रतिनिधि है। अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की इसलिए उन्हें बतौर अप्रार्थी संयोजित किया गया है। उनसे कोई विशेष अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 17–1–2011 को तहसीलदार महोदय, पीपल्दा से उक्त त्रुटियों को दुरस्त करने बाबत निवेदन किया तो उन्होंने कहां कि न्यायालय में जाकर कार्यवाही करो इसलिए प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के गैर खातेदारी की भूमि खसरा नं 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के बाद सेटलमेन्ट बने नवीन खसरा नं. 24 रकबा 0.59 है0, में हुई 0.41 है0, के कमी रकबा की पूर्ति करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा कमी रकबे की पूर्ति उपरान्त तहसीलदार पीपल्दा को राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार के अनुसार ग्राम खेरदा की जमावन्दी सरकार 2035–38 की खाता सं0 92 में प्रार्थीगण के पिता श्री मोरपाल पुत्र अमरा जाति गुर्जर की गैर खातेदारी में खसरा न0 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जो है0 में 1.01है0 होती है। (संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2035–2038) सेटलमेण्ट जमाबन्दी सम्वत् 2041–2060 एवं मिलान क्षेत्रफल 2041–60 अनुसार तय खसरा नं0 24 रकबा 0.59है0 दर्ज किए गए है जो कि गत रकबे के मुकाबले 0.42है0 कमी रकबा दर्ज किया गया है। (संलग्न जमाबन्दी 2041 60 मिलान क्षेत्रफल 2041–60) मिलान क्षेत्रफल 2041–60 का अवलोकन करने पर गत ख0 न0 5 रकबा 61 का अन्य हाल खसरा नम्बर नहीं होना पाया गया है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण का ग्राम खेरदा की आराजी ख0न0 24 रकबा 0.59 है0 पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। समीपस्थ अन्य कोई सिवायचक भूमि नहीं होना पाया गया जिससे कमी रकबे की पूर्ति की जा सके।

अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए 0.41 है0, कमी रकबे की पूर्ति के लिए निवेदन कर अनुतोष चाहा। पत्रावली में विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबन्दी सरकार 2035–38 की खाता सं0 92 में प्रार्थीगण के पिता श्री मोरपाल पुत्र अमरा जाति गुर्जर की गैर खातेदारी में खसरा न0 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जो है0 में 1.01है0 होती है। जमाबन्दी सरकार 2035–38 की खाता सं0 92 में प्रार्थीगण के पिता श्री मोरपाल पुत्र अमरा जाति गुर्जर की गैर खातेदारी में खसरा न0 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जो है0 में 1.01है0 होती है। परन्तु यह कमी किस रकबे में वृद्धि हुई तथा प्रार्थी इसकी पूर्ति किस/किन खसरों से कराना चाहता है। नक्शे ट्रेस में भी सीमावर्ती कोई भूमि सिवायचक या निजी खातेदारी का कोई उल्लेख नहीं है जिनसे कमी रकबे की पूर्ति की जा सके। प्रार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट करना था कि कमी रकबे की संगत वृद्धि कहां और कितनी हुई क्योंकि सम्पूर्ण ग्राम का रकबा नियत व स्थिर है। अतः प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि निकटवर्ती किस खसरे में या किन खसरों में कमी रकबे की समान बेशी दर्ज हुई है। जवाब सरकार से भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह पूर्ति कहां से की जाये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा